न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – तारा चन्द मीणा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
013/2021 (रसद) (GCMS 2021/219)	21.06.2021	22.12.2021

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये हितेश जोशी प्रवर्तन अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. राजु खटीक पुत्र मदनलाल खटीक निवासी खटीकों का मौहल्ला, भदेसर मोबाईल 9587225008
2. राधेश्याम चन्देरिया पिता खेमराज निवासी बोथखेडी तहसील जावद जिला नीमच मोबाईल 9685738387, 8989942717

विपक्षी

उपस्थिति :- प्रवर्तन अधिकारी पैरोकार सरकार
एमएस झाला अधिवक्ता विपक्षी

आवेदन अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है आवेदक हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी चित्तौड़गढ़ ने आवेदन अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के विपक्षी के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 05.06.2021 को जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ ने दूरभाष पर निर्देश दिये कि डी.एस.टी.टीम चित्तौड़गढ़ के दुर्गासिंह HC बेल्ट संख्या 100 व कमलेश बेल्ट संख्या 116 मय टीम द्वारा होटल राधा रानी, सामरी चित्तौड़गढ़–निम्बाहेडा हाईवे पर पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध भण्डारण एवं कारोबार हो रहा है। उक्त कार्यों को रूकवाकर मौके पर पुलिस थाना शंभुपुरा के धनराज ASI और शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक घटना स्थल पर पहुँच कर कार्यवाही कर अवगत करावें। जिला रसद अधिकारी के प्राप्त निर्देशों की पालना में आवेदक प्रतर्वन अधिकारी मय शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक राजकीय वाहन संख्या RJ09TA2149 से घटना स्थल होटल राधा रानी, सामरी चित्तौड़गढ़–निम्बाहेडा हाईवे पर पहुँचे। मौके पर पहुंचने पर पुलिस थाना शंभुपुरा के धनराज ASI मय जाब्ता मौके पर उपस्थित पाये गये। धनराज ASI से घटना की जानकारी लेने पर उन्होनें मौके पर खडे टैंकर वाहन संख्या RJ09GC9688 के चालक से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम राजू

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

Web Copy - Not Official

डिप रोड से मापा गया। मापने पर उक्त टैंकर में कुल 19800 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ होना पाया गया। मौके पर टैंकर चालाक और बायोडीजल पम्प के संचालक से पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण, व्यापार व परिवहन हेतु आवश्यक दस्तावेज मांगने पर उन्होनें मौके पर प्रस्तुत नहीं किये व न ऐसा दस्तावेज होना स्वीकार किया। जिसके कारण जरिये फर्द अभिग्रहण तैयार कर टैंकर वाहन संख्या RJ09GC9688 19800 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, 10 फीट लम्बाई का एक रबर पाईप व 10 लीटर क्षमता का एक मापक कब्जे में लिये गये। उक्त कब्जे में लिये गये माल को श्री डाल चन्द्र HC बोल्ट नंबर 1333 प्रभारी मालखाना, पुलिस थाना शंभुपुरा को सुपुर्द किया गया। टैंकर मय पेट्रोलियम पदार्थ सुपुर्दगी से पूर्व टैंकर के उपर बने हुए ढक्कनों के डाइनेमिक ल०क को प्लास्टिक सील संख्या 1048234 से सील किया गया। फर्द अभिग्रहण मय सुपुर्दगीनामा तैयार कर फर्द मौका के साथ संलग्न किया गया। मौके पर ही अभिग्रहित पेट्रोलियम पदार्थ के तीन नमूने क्रमशः 750 ml- कांच की स्वच्छ बोतलो में टैंकर वाहन संख्या RJ09GC9688 से लिये गये। नमूना जिसे क्रमशः A-1, A-2, A-3 मार्का से अंकित किया गया। नमूना A-1 शंभुपुरा पुलिस थाना वास्ते FSL जाँच हेतु दिया गया व नमूना A-2 व A-3 वास्ते अभिरक्षा कार्यालय में जमा करवाने हेतु साथ लिये गये। फर्द नमूना तैयार कर संलग्न की गई। राधेश्याम चन्देरिया बायोडीजल पम्प संचालक से पूर्व में राधा रानी होटल सामरी पर स्थित बायोडीजल पम्प के डिस्पेन्सिंग यूनिट के दोनो नोजलों को सील किया हुआ था। उसमें से 1 नोजल की सील टूटी हुई पाई गई। इस संदर्भ में पूछताछ करने पर उसने कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया। टैंकर चालक राजू खटीक व बायोडीजल पम्प संचालक राधेश्याम चन्देरिया का यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 7, 8, 9 तथा ई.सी. एक्ट की धारा 3 के अन्तर्गत जारी MS&HSD (रेगुलेशन) ऑफ सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन एण्ड प्रिवेन्शन ऑफ मेलप्रेक्टिस की धारा 2 (a), (b), (p), (f), 3, 4 तथा पेट्रोलियम प्रोडक्ट (Maintenance and Supply) आदेश 1999 का स्पष्ट उल्लंघन है। मौके पर बायोडीजल पम्प पर जिस नोजल की सील टूटी हुई पाई गयी। उसे पुनः प्लास्टिक सील संख्या 1048207 व 1048208 से सील्ड किया गया। राजू खटीक एवं राधेश्याम चन्देरिया का यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 की तहत दण्डनीय है। अन्त में प्रार्थना कि गई कि प्रकरण में अभिग्रहित टैंकर वाहन संख्या RJ09GC9688 मय 19800 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, 10 फीट लम्बा रबर पाईप, 10 लीटर लोहे का मापक राजसात कराने की कृपा करे।

इस पर आवेदक प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किये गये। इस पर दिनांक 21.09.2021 को विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता एनएस झाला हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

खटीक पुत्र मदनलाल खटीक निवासी खटीक मौहल्ला भदेसर होना बताया। मौके पर ही राजू खटीक ड्राईवर के बयान लिये गये। उसने अपने बयानों में स्वीकार किया कि टैंकर वाहन संख्या RJ09GC9688 का चालक मैं ही हूँ तथा इसे आज दिनांक 05.06.2021 को होटल चित्रकूट के सामने, रिठोला चौराहा से राधेश्याम चन्देरिया के कहने पर वहां पर बने भूमिगत टैंक में टैंकर में भरे हुए पेट्रोलियम पदार्थ को खाली करने हेतु 10 फीट लम्बाअई का रबर पाईप टैंकर के वाल्व से भूमिगत टैंक से जोडकर खाली करने लगा तभी पुलिस टीम मौके पर पंहुची और इस कार्य को रूकवा दिया। राजू खटीक से पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण, परिवहन व व्यापार हेतु आवश्यक दस्तावेज मांगने पर कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया व न ही उसके पास किसी प्रकार का दस्तावेज होना स्वीकार किया। मौके पर उपस्थित बायोडीजल पम्प के संचालक राधेश्याम चन्देरिया से पूछताछ कर बयान लिये गये तो उन्होंने अपने बयान में स्वीकार किया कि मैंने ही राजू खटीक को कहा कि होटल चित्रकूट के सामने रिठोला चौराहा पर पेट्रोलियम पदार्थ से भरे टैंकर वाहन संख्या RJ09GC9688 को वहां से चलाकर होटल राधा रानी, सामरी चित्तौडगढ़-निम्बाहेडा हाईवे पर ले आये तथा मेरे कहने पर ही राजू खटीक ने टैंकर को लाकर मेरे सीलशुदा बायोडीजल पम्प पर खड़ा किया और मेरे निर्देश पर ही टैंकर में भरे पेट्रोलियम पदार्थ को भूमिगत टैंक में खाली कर रहा था, उसी दौरान पुलिस की टीम वहां पर पंहुची और इस कार्य को रूकवा दिया। राधेश्याम चन्देरिया से पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण, परिवहन व व्यापार हेतु आवश्यक दस्तावेज मांगने पर कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया व न ही उसके पास किसी प्रकार का दस्तावेज होना स्वीकार किया। राधेश्याम चन्देरिया द्वारा मौके पर दो इन्वॉयस प्रस्तुत किये गये जिनका नम्बर क्रमशः MI/GI2122/188 तथा MI/GI2122/189 है, जो 188 का इन्वॉयस जगदीश खटीक कोटा राजस्थान के नाम से जारी किया हुआ है, जबकि इन्वॉयस 189 राजेश भाई, कोटा राजस्थान के नाम से जारी किया हुआ है। दोनो इन्वॉयस में कुल मात्रा 2700-2700 लीटर (कुल 5400 लीटर) 60 रूपये प्रति लीटर की दर से N-Parafin प्रोडक्ट के नाम से जारी किये हुए है, जबकि टैंकर में कुल 19800 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ होना पाया गया, जबकि टैंकर की कुल क्षमता 20000 लीटर है। राधेश्याम चन्देरिया द्वारा 5400 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के अलावा टैंकर में भरे शेष मात्रा के संबंध में इन्वॉयस मांगने पर किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त इन्वॉयस भी प्रथम दृष्टया कूट रचित होना प्रतीत होता है। टैंकर चालक राजू खटीक व बायोडीजल पम्प संचालक राधेश्याम चन्दरिया के बयान व टैंकर इन्वॉयस 188 व 189 फर्द मौका के साथ संलग्न किये गये। टैंकर चालक राजू खटीक व बायोडीजल के संचालक राधेश्याम की मौजूदगी में भूमिगत टैंक का मापन करने पर भूमिगत टैंक में डेड स्टॉक ही पाया गया। मौके पर ही टैंकर चालाक संख्या RJ09GC9688 को

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

किया जो शामिल पत्रावली है। दिनांक 22.12.2021 को अधिवक्ता एनएस झाला हाजिर आये एवं विपक्षी संख्या 2 की और से अधिकार पत्र पेश किया एवं उक्त प्रकरण में जब्तशुदा माल को राजसात किये जाने में कोई एतराज नहीं होने का निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। इसके साथ ही विपक्षी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई।

इस पर दिनांक 22.12.2021 को हाजिर उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया। पैरोकार सरकार आयेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि विपक्षी द्वारा अवैध रूप से बाहरी राज्यों से पेट्रोलियम पदार्थ यहां लाकर अन्य टैंकरों में निकाल कर खरीद फरोक्त का धन्धा करना तथा पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन एवं भण्डारण करने के साथ ही अवैध तरीके से विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से रखने का किया गया कृत्य पेट्रोलियम पदार्थ की अवैध रूप से कालाबाजारी करने से संबंधित होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे। इस पर विद्वान अधिवक्ता विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि प्रकरण में जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ को कब्जे राज लिया जाकर राजसात किये जाने विपक्षी को कोई उज्र-आपत्ति नहीं है। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। इस पर बहस के रिवटल में हाजिर पैरोकार सरकार ने बताया कि पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन एवं भण्डारण करने के साथ ही अवैध तरीके से विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से रखने का किया गया कृत्य पेट्रोलियम पदार्थ की अवैध रूप से कालाबाजारी करने से संबंधित होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे। इसी ईश्तदुआ के साथ पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर चिंतन-मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत गहनता पूर्वक अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर चिंतन-मनन किया। विपक्षी द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ अपने पास रख भण्डारण करने, विक्रय करने तथा परिवहन करने संबंधी कोई वैध दस्तावेज व लाईसेंस नहीं होना स्वीकार किया। एवं जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ को कब्जे राज लिये जाने के संबंध में विपक्षीगण को किसी भी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया है। हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में न्यायालय हाजा

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

द्वारा प्रकरण संख्या 287/2021 (रे.वि.) निर्णय दिनांक 24.11.2021 से पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना भदेसर से प्राप्त अभिमत के आधार पर न्यायालय निर्णय दिनांक 24.11.2021 से प्रकरण में जब्तशुदा वाहनों को अधिकत/पंजीकृत वाहन स्वामियों को विहित शर्तो पर अपेक्षित जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा प्रस्तुत किये जाने पर रिलीज किये जाने के आदेश दिये गये है।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया गया। प्रकरण में जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात किये जाने पर विपक्षी को किसी भी प्रकार को कोई उज्र एतराज नहीं होना जाहिर होता है ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य के आधार पर विपक्षी द्वारा बाहर से अवैध रूप से टेंकर एवं टेम्पों में पेट्रोलियम पदार्थ भरकर लाना तथा अवैध तरीके से अपने कब्जे में रखना, विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन, भण्डारण तथा उनकी कालाबाजारी करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाने से जब्तशुदा 19800 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ एवं अन्य सामग्री 10 फीट लम्बा रबर पाईप, 10 लीटर लोहे का मापक को राजसात **(Confiscate)** किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं पुलिस थाना शंभुपरा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 094/2021 दिनांक 06.06.2021 में दिनांक 06.06.2021 को जब्तशुदा 19800 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ एवं अन्य सामग्री 10 फीट लम्बा रबर पाईप, 10 लीटर लोहे का मापक को राजसात करने के आदेश दिये जाते हैं, एवं प्रकरण में जब्तशुदा वाहनों को वैध स्वामियों के अपेक्षित जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत किये जाने पर रिलीज किये जाने तक पुलिस थानाधिकारी पुलिस शंभुपुरा अपनी कस्टडी में सुरक्षित रखेंगें। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ उक्त जब्तशुदा 19800 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ एवं अन्य सामग्री 10 फीट लम्बा रबर पाईप, 10 लीटर लोहे का मापक को थानाधिकारी, पुलिस थाना शंभुपुरा से प्राप्त कर, नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ एवं थानाधिकारी पुलिस थाना शंभुपुरा को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>22.12.2021</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

Web Copy - Not Official